

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग(डीग)
 तारीख पटवारी, पटवार मंडल, कठसिया वनाम राजस्थान सरकार
 हुक्म संख्या:- 34/25 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS No-
 किरा प्रार्थना पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956 2025/311

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

26.11.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी,
 पटवार मंडल कठसिया द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच
 दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना
 दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट
 क्रमांक 21.35/2025/3378 26.11.25 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।
 पटवारी, पटवार मंडल कठसिया के निवेदन पर सुना गया।
 पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार श्री की जांच
 रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल कठसिया
 ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकै ग्राम बागेलीसाम स्थित भूमि
 जमावंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 15 खसरा नं० 036/0-25-20

के
 काश्तकार विक्रम डगर पुत्र जयपाल मिश्र हिस्सा
 जाति ब्राह्मण निवासी बागेलीसाम खातेदार
 राहिन हिस्सा 1/48 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा
कोट के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोट दुरुस्त
 किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार श्री की स्पष्ट
 अभिशप्ता के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के
 अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार
 किया बाकै ग्राम बागेलीसाम स्थित भूमि जमावंदी संवत् 2076-79
 के खाता संख्या 15 खसरा नं० 036/0-25-20
 के काश्तकार विक्रम डगर
 पुत्र जयपाल मिश्र हिस्सा 1/48 जाति ब्राह्मण
 निवासी कोट खातेदार राहिन हिस्सा 1/48
 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोट के स्थान
 पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोट दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये
 जाते हैं। तहसीलदार श्री को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु
 तहशीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद
 तकमिल दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी
 डीग (जिला डीग)